Proceedings of Environmental Public Hearing on the proposal submitted by M/s Mahesh Stone Crusher, Village & P.O Kalruhi Tehsil Amb, District Una HP, for collection of Sand, Stone and Bajri at Khasra Nos 2074 & 2228 situated in Mauza & Mohal Andora Nichla Tehsil Amb, District Una (HP) over an area of 07-02-13 hectares.

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by M/s Mahesh Stone Crusher, Village & P.O Kalruhi Tehsil Amb, District Una HP, for collection of Sand, Stone and Bajri at Khasra Nos 2074 & 2228 situated in Mauza & Mohal Andora Nichla Tehsil Amb, District Una (HP) over an area of 07-02-13 hectares was organized on 30.05.2013 at 11.00 AM near mining lease area by HP State Pollution Control Board, Regional Office Una as per notification No-SO-1533 dated 14.09.2006. This public hearing was organized by the HP State Pollution Control Board under the chairmanship of Sh. Darshan Kalia ADC, Una according to prescribed process of public hearing. The attendance sheet of participants present in the public hearing is enclosed (Annexure-I). In this public hearing, the members of the local administration, District Forest Officer Una, Mining Officer Una, Dy. Director Horticulture Una & Gram Panchayat Pardhan of Village Andora Nichla and Andora Upper & Residents of GP Andora Nichla and nearby villages were present. First of all, the Regional Officer HP State Pollution Control Board welcomed the Chairman, Officers & Officials of other departments, representative of Panchayat & public and thereafter started the process of Public Hearing with the permission of the Chairman of Environmental Public Hearing. Then the brief description regarding this proposed Mining Area was given by the representative of M/s Mahesh Stone Crusher. Thereafter the Chairman addressed the public and asked that, what is the purpose of this public hearing ?. And visited the mining lease area along with the local public and officers/officials of concern departments present in this Environmental Public Hearing. The distance of boundary pillar of mining lease on right hand side of the Channelized River was measured by the Assistant Engineer I&PH (Flood Protection) and found that the boundary pillar was fixed at 39 meters from the embankment of the Channelized River. This point was highlighted to the local public and officers/officials of concern departments present in this Environmental Public Hearing. Thereafter the Chairman asked the people present in this Environmental Public Hearing to express their views, comments, suggestions and objections regarding this proposed Mining Lease Area without any fear and pressure from any corner. The Assistant Engineer I&PH Sub Division Amb told that the mining activity is not allowed up to 100 meters from the embankment on the both sides of the Channelized River.

Videography of the Public Hearing was also done. Accordingly, the proceedings of the Environmental Public Hearing were recorded and the same is reproduced here.

Additional Deputy Commissioner
Una, Distt.Una

Sr. No.	Name & Address	Issues/Suggestions raised	Reply
1.	Smt. Babita Devi , Pradhan GP Village Andora Nichla Tehsil Amb, Distt Una H.P	She pointed out that the proponent has not intimated before fixing the boundary pillars in the mining lease area. She again asked to the proponent that, whether any intimation was given to the Gram Panchayat/adjoining land owners regarding fixing of Pillars.	The representative of the project proponent told that the pillars were fixed along with the Patwari (Revenue Deptt.) If there is any problem to the adjoining land owners then the demarcation can be conducted again in future.
2.	Sh. Kishan Chand R/o Village Andora Nichla Tehsil Amb, Distt Una H.P	He also pointed out that whether the intimation was given to the adjoining land owners regarding fixing of boundary Pillars. He further said that when the mining activities will be carried out in the leased area, there adjoining land will also be damaged/erosioned.	The representative of the project said that earlier auctioned of this Khadd was conducted and after demarcation it was found that this area was not in auctioned area, hence they were not allowed to carry out mining activity in the said area.
3	Sh. Arjun Singh R/o Village Andora Nichla Tehsil Amb, Distt Una H.P	He said that as the land of lease holder is compact but the land of other people is not compact that is one Kanal here and two Kanals there. When the mining activities will be carried out in the leased area, that our adjoining land will also be damaged/erosioned. He expressed his view that if the permission granted to the lessee, then the permission should be granted to others also, so that they could sell the sand instead of growing grass for animals. He also said that if the lease is granted to the lessee, then who is responsible for this?	The reply of the same is covered in Sr. No 5 Column 4.
4.	Sh. Jasvir Singh R/o Village Andora Nichla Tehsil Amb, Distt Una H.P	He said that when the lease/auction is granted then the lease holder will extract the material from here & there instead of there actual mining area and when we argue with them, they says that you go for demarcation first. He also said that why the adjoining land owners are not invited/intimated at the time of granting auction/lease? After	The representative of the project proponent told that a committee of the local members should be formed to check whether the mining activities is being carried out in the mining area or out of the leased area and it should be intimated to the

Additional Deputy Commissioner Una, Distt.Una

		granting the lease no department will come on the spot to listen us, today every department is here. He said that the land which is reclaimed after channelization will also be damaged and said that mining should not be permitted.	concerned department for further necessary action. Sh. Subhash Sharma, Environmental Consultant, told that the mining activities are allowed up to the depth 1.0 meter in Himachal Pradesh, whereas in Punjab the mining is allowed up to 3.0 meters. Earlier the water was flowing openly in the river. After the channelization of the Swan River the flow of water is restricted inside the channelization. If no mining is carried out in this area for 10-15 years, the level of river bed will automatically raised due to the reclamation of Sand Stone & Bajri up to the top level of channelization / Bandh, which may cause floods in the area. So the mining should be carried out in the leased area in scientific way.
5.	Sh. Angrej Singh Up Pradhan Village Andora Nichla Tehsil Amb, Distt Una H.P	He said that the mining lease should be granted, otherwise all the development will be stopped, and then aggregate material like sand, stone & bajri will be procured from where. The mining should be carried out in scientific way up to 1.0 meter depth as per the Guidelines of Mining Department and land of the adjoining owners having 1-2 Kanals should not be damaged. If the mining lease will be granted then there is a possibility of development works.	Sh. Subhash Sharma, Environmental Consultant, told that there is set procedure for mining lease such as first of all the applicants will apply to the Government, after that a joint inspection is carried out by team of various concerned department under the Chairmanship of SDM, thereafter the proposal is sent to the Geological Wing of Industries Department. The Industry department decides whether the lease

Additional Deputy Commissioner Una, Distt. Una

			can be granted or not. Thereafter the applicant will apply for Env. Clearance and thereafter the study of the applied lease is carried out as per TOR (Term of Reference). This report is being sent to the Pollution Control Board after that the PCB fix the date of public hearing with consultation with Deputy Commissioner concerned. After conducting the public hearing the proceedings of the public hearing is sent to the Ministry of Environment & Forest (GoI) through Govt. of H.P. The mining lease can be granted to anybody, who fulfills the norms.
6.	Sh Narendra Singh Rana Pradhan Gram Panchayat Village Andora Upper Tehsil Amb, Distt Una H.P	He said that when the mining activities will be carried out, then the pollution problem like air emission and noise pollution may also arise in night hours due to plying of vehicles etc. He further said that the proponent of mining lease Mr. Anil Sharma may explain the all things on stage regarding this mining lease so that the other people could understand properly. He further said that proponent shall explain the all things on stage when the demarcation was carried & whether the intimation was given to the peoples. As the Pradhan Gram Panchayat is most important person & public servant of the Government, hence he/she should be intimated before these kind of activities carried out in the area. Most of the peoples don't known when the demarcation was carried out along with the Patwari. For any development work there are some hurdles/problems, we should face it strongly. He further said	The representative of the project proponent told that as per the Government policy, the mining activities are allowed in day time only. No mining activities are allowed in night hours. The mining area is specified and mining activities should be performed in scientific way. If the mining activities are being not performed, then there may be chances of floods in the surrounding area. If anybody performed the mining activities in night hours, a committee of 5-6 members of concerned panchayats should be contituated and proper supervision/check on the mining activities in night hours should be exercised, whether the mining

Additional Deputy Com[illegible]
Una, Distt.Una

		that a committee of the local people should be constituted to keep the supervision/check on the mining activities & sort out the issues at the spot or to be intimated to the concerned departments.	activities is being carried out in the leased area or out of leased area. If it is found that they are carrying out mining activity in night hour or out of their lease, the report of the same should be sent to the higher authority for necessary legal action. The project proponent told that first of all the process of mining lease started from the NOC of Panchayat in the resolution. After detailed discussion in the Panchayat proper NOC is issued to the lessee for mining activities. Thereafter lessee applies for joint inspection to the State Geologist and same process is carried out as Stated above at Sr. No. 5 on Column 4. He also ensured that the material will be supplied to the local people on cheaper rates as per the recommendations of the concerned Pradhan of the Gram Panchayat.

At the end, Er. S.K Dhiman Regional Officer HPSPCB thanked all the participants and the District Administration for attending the Environmental Public Hearing.

Additional Deputy Commissioner
District Una(H.P.)

Additional Deputy Commissioner
Una, Distt. Una

श्री युत महेश स्टोन कशर गांव व डा0 कलरुही त0 अंब जिला ऊना हि0प्र0 द्वारा मौजा व मोहाल निचला अंदौरा खसरा न0 2074 व 2228 त0 अंब जिला ऊना हि0प्र0 कुल क्षेत्रफल 07-02-13 हेकटेयर से रेत,बजरी व पत्थर के सग्रंह के प्रस्ताव पर आयोजित जन सुनवाई के आयोजन सम्बधी कार्यवाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिनाकं **30** मई **2013** को प्रातः **11:00** बजे गांव व डा0 निचला अंदौरा त0 अंब जिला ऊना हि0प्र0 मे मौजा व मोहाल निचला अंदौरा खसरा न0 **2074** व **2228** त0 अंब जिला ऊना हि0प्र0 कुल क्षेत्रफल 07-02-13 हेकटेयर से रेत,बजरी व पत्थर के सग्रंह के प्रस्ताव पर आयोजित जन सुनवाई के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना स0 - एस ओ **1533** दिनांक **14** सि0 **2006** के अंर्तगत निर्धारित प्रकिया के अनुसार अतिरिक्त जिला आयुक्त ऊना की अध्यक्षता में आयेजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्न-**1** पर उपलब्ध है। इस जन सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, वन मंडल अधिकारी खनन अधिकारी जिला ऊना, उप निदेशक वागवानी व पंचायतो के प्रतिनिधि और अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण एवं स्थानीय निवासी उपस्थित थे।सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने चेयरमेन व अन्य विभागों से आये अधिकारी एवं कर्मचारी गण, स्थानीय पंचायतो के प्रतिनिधियों एवं उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया उसके उपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमती से जन सुनवाई की कार्यवाही शुरू की। तत्पश्चात स्टोन कशर के प्रतिनिधि द्वारा खनन क्षेत्र के प्रारूप और विस्तरित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया ।अतिरिक्त जिला आयुक्त ऊना, ने उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि क्या आपको पता है कि आप यहां पर किस लिये आये हैं और आपको पता है कि खनन वाली जगह कौन सी है। इसके उपरांत अध्यक्ष महोदय ने स्थानीय लोगो एवं अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ खनन क्षेत्र का द्वौरा किया तथा लोगो को खनन पट्टा सीमा स्तम्भ भी दिखाये । सि0 एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने नदी के दायें तटवांध से खनन पट्टा के दांये तट पर लगे सीमा स्तम्भ की दूरी नापी और यह दूरी **39** मीटर पायी गई और इसके बारे मे स्थानीय लोगो एवं अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया गया। उसके बाद अतिरिक्त जिला आयुक्त ऊना ने कहा कि इस खनन क्षेत्र के सम्बंध में यदि किसी को कोई भी सुझाव विचार एवं शिकायत हो तो वह निसंकोच एवं निर्भीक होकर पूछ सकते हैं। ।सहायक अभियन्ता सि0 एवं जन स्वास्थ्य विभाग अंब ने जनता को अवगत करवाया कि खनन प्रकिया नदी पर लगे तटवांध के दोनो किनारों से **100** मीटर की दूरी तक नहीं की जा सकती है ।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनूमति से जन सुनवाई की प्रकिया आरंभ की गई। इस जन सुनवाई की संपुर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है ः-

Additional Deputy Commissioner
Una, Distt.Una

क0 स0	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दा पर टिप्पणी
1	श्रीमती बविता देवी प्रधान ग्राम पंचायत निचला अंदौरा त0 अंब जिला ऊना हि0प्र0	उन्होने स्टोन कशर के प्रतिनिधि से पूछा कि जो आपने खनन पट्टा पर सीमा स्तम्भ लगाये वो किसको पूछकर लगाये हैं। उन्होने दोबारा पूछा कि जो आपने खनन पट्टा पर सीमा स्तम्भ लगाये क्या इसके बारे आपने पंचायत और साथ लगते भूमि मालिको को सूचना दी थी या नहीं।	खनन पट्टा के प्रतिनिधि ने बताया कि ये जो खनन पट्टा पर सीमा स्तम्भ लगाये हैं वो पटवारी की मौजूदगी मे लगवाये हैं । अगर फिर भी किसी को आपत्ति हो तो दोबारा निशानदेही ली जा सकती है ।
2	श्री किशन चन्द ग्राम निचला अंदौरा त0 अंब जिला ऊना हि0प्र0	उन्होने भी स्टोन कशर के प्रतिनिधि से पूछा कि जो आपने खनन पट्टा पर सीमा स्तम्भ लगाये वो किसको पूछकर लगाये और इसके बारे मे क्या आपने सूचना दी । उन्होने आगे कहा कि जब भी खनन प्रकिया शुरु होगी तो हमारी जमीन भी साथ मे बह जायेगी ।	खनन पट्टा के प्रतिनिधि ने कहा कि पहले इस खड्ड की नीलामी हो चुकी थी और जब हमने अपनी जगह की निशानदेही ली तो हमे पता चला कि यह जगह नीलाम क्षेत्र मे नही आती है और उन्हे इस क्षेत्र से खनन करने की अनुमति नहीं दी गई ।
3	श्री अर्जुन सिंह ग्राम निचला अंदौरा त0 अंब जिला ऊना हि0प्र0	उन्होने कहा कि खनन पट्टा मालिक की जमीन इक्टठी है और साथ लगते जमीन मालिकों की जमीन एक या दो कनाल है । उन्होने आगे कहा कि जब भी खनन पट्टा मे खनन प्रकिया शुरु होगी तो हमारी साथ लगती जमीन भी साथ मे बह जायेगी । उन्होने अपने विचार व्यक्त किये यदि खनन पट्टा मालिक को मंजूरी मिलती है तो साथ ही हमे भी अपनी जमीन पर खनन करने की मंजूरी दी जाये ताकि हम भी घास की जगह रेत बेच सकें । उन्होने यह भी कहा कि यदि खनन पट्टा मालिक को खनन प्रकिया की मंजूरी मिलती है तो यह इस के लिये कौन जिम्मेवार होगा ।	इसका उतर जैसा कि क0 स0 5, कालम 4 मे है।

Additional Deputy Commissioner
Una, Distt.Una

4	श्री जसवीर सिंह ग्राम निचला अंदौरा त0 अंब जिला ऊना हि0प्र0	उन्होने कहा कि जब खनन पट्टा की मंजूरी मिलती है तो पट्टा मालिक अपने खनन पट्टा के साथ लगती जमीनो से भी खनन करतें हैं ।जब हम उनसे इस बारे मे बहस करतें हैं तो वह कहतें हैं कि पहले निशानदेही लो फिर बात करना । उन्होने यह भी कहा कि जब भी खनन पट्टा की निशानदेही होती है तो साथ लगते भूमि मालिको को क्यों सूचना नही दी जाती ? खनन पट्टा की मंजूरी मिलने के बाद कोई भी विभाग मौके पर हमे सुनने नही आयेगा,आज सारे विभाग मौके पर मौजूद हैं ।उन्होने यह भी कहा कि जो जमीन तटीकरण से बनी है वह भी खनन करने से तवाह हो जायेगी अत: खनन की मंजूरी नही दी जाये ।	खनन पट्टा के प्रतिनिधि ने कहा कि खनन प्रकिया पर नजर रखने के लिये स्थानीय लोगों की एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिये जो कि यह सुनिश्चत करे कि खनन प्रकिया खनन पट्टा के अन्दर ही हो रही है कहीं खनन पट्टा के बाहर तो नहीं हो रही है।अगर ऐसा पाया जाता है कि खानन प्रकिया खनन पट्टा के बाहर हो रही है तो इसकी सूचना तुरन्त सम्बन्धित विभाग से अग्रिम कार्यवाही हेतु की जाये। श्री सुभाष शर्मा पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि हिमाचल मे खनन प्रकिया एक मीटर गहराई तक कर सकतें हैं और पंजाब मे खनन प्रकिया तीन मीटर गहराई तक कर सकतें हैं । तटीकरण से पहले नदी का पानी खुले मे बहता था। तटीकरण के बाद जब भी नदी मे पानी आयगा तो तटीकरण के बीच रेत, बजरी व पत्थर इक्ट्ठा होता रहेगा और हो सकता है **10-15** सालों बाद बांध के बराबर समतल हो जाये। इसकी वजह से इलाके मे बाढ भी आ सकती है । इसलिये खनन प्रकिया भी जरुरी है और वो भी वैज्ञानिक तरीके से की जाये ।
5	श्री अंगरेज सिंह उप प्रधान ग्राम पंचायत निचला अंदौरा त0 अंब जिला ऊना हि0प्र0	उन्होने कहा कि खनन पट्टा की मंजूरी दी जानी चाहिये, नहीं तो प्रगति के सारे काम रुक जायेंगे और हम रेत व बजरी कहां से लायेंगे । उन्होने कहा कि खनन प्रकिया वैज्ञानिक तरीके से हो और एक मीटर गहराई तक ही होनी चाहिये तथा साथ लगते लोगों की जमीन भी खराब नहीं होनी चाहिये जिनके पास सिर्फ **1-2** कनाल जमीन ही है।अगर खनन पट्टा की मंजूरी दी जाती है तभी प्रगति के सारे	श्री सुभाष शर्मा पर्यावरण सलाहकार ने बतााया कि खनन पट्टा प्राप्त करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार की एक सरल कार्यविधि है।सबसे पहले प्राथी खनन पट्टा के लिये सरकार को आवेदन करता है। उसके बाद SDM की अध्यक्षता मे सम्ब्धित अधिकारियों के साथ खनन पट्टा का सयुंक्त निरिक्षण किया जाता है। उसके बाद खनन पट्टा का प्रस्ताव औधोगिक विभाग की भूविज्ञानी शाखा को भेजा जाता है ।

Additional Deputy Commissioner
Una, Distt.Una

		काम होंगे ।	उसके बाद औधोगिक विभाग तय करता है कि खनन पट्टा की स्वीकृति आवेदक को दी जाये या नहीं। उसके बाद आवेदक Environmental Clearance के लिये आवेदन करेगा। उसके बाद खनन पट्टा का अध्ययन TOR (Term of Reference) के आधार पर किया जाता है । यह अध्ययन रिपोर्ट प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को भेजी जाती है उसके पश्चात प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड उपायुक्त महोदय से सलाह करके जन सुनवाई की तिथि निर्धारित करता है। जन सुनवाई की कार्यवाही के बाद जन सुनवाई की कार्यवाही का प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार को आगामी कार्य वाही के लिये भेजा जाता है। खनन पट्टा किसी को भी मंजूर किया जा सकता है जो आवेदक मानको को पूरा करेगा।
6	श्री नरेंद्र सिंह राणा प्रधान ग्राम पंचायत अप्पर अंदौरा त0 अंब जिला ऊना हि0प्र0	उन्होने कहा कि जब खनन होगा तो प्रदूषण भी होगा और रात को गाडियों के चलने से ध्वनी प्रदूषण भी होगा । उन्होने खनन पट्टा मालिक से आग्रह किया कि वह इस खनन पट्टा के बारे मे मंच पर आकर विस्तार से लोगों को बतायें ताकि वह इस खनन पट्टा के बारे मे ठीक से जान सकें और यह भी बताये कि इस खनन पट्टा की निशानदेही कब हुई थी, क्या इसकी सूचना लोगों को दी गई थी या नहीं । उन्होने आगे कहा कि प्रधान एक महत्तवपूर्ण एवं सरकार का नुमायिंदा है अत: उन्हे इस तरह की गतिविधियों की सूचना दी जानी चाहिये । उन्होने यह भी कहा कि बहुत से लोगों को	खनन पट्टा के प्रतिनिधि ने कहा कि खनन प्रकिया सरकार की नीति के तहत दिन मे ही की जा सकती है। रात मे खनन करने की मनाही है। खनन पट्टा का एक तय क्षेत्र होता है और खनन प्रकिया वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी।अगर खनन प्रकिया नही की जाती है तो बाढ आने के खतरा बना रहता है।अगर कोई व्यक्ति रात को खनन करता है तो उस पर नजर रखने के लिये स्थानीय 5-6 लोगों की एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिये। जो कि खनन प्रकिया पर रात मे नजर रख सके और यह सुनिश्चत करे कि खनन प्रकिया खनन पट्टा के अन्दर ही हो रही है कहीं खनन पट्टा के बाहर तो

Additional Deputy Commissioner
Una, Distt. Una

		यह भी पता नहीं होगा कि इस खनन पट्टा की निशानदेही कब हुई और पटवारी कब आया । जब भी कोई प्रगति का कार्य होगा तो उसमे कुछ अडचने/कठिनाइयां आती ही हैं और हमें इन कठिनाइयों का सामना डट कर करना चाहिये । उन्होने यह भी कहा कि खनन प्रकिया पर नजर रखने के लिये स्थानीय लोगों की एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिये जो कि मामले को मौके पर ही सुलझा सकें या उसकी सूचना सम्बधित विभाग को दे सकें।	नहीं हो रही है। अगर कोई रात को कोई खनन करता व खनन प्रकिया खनन पट्टा के बाहर पायी जाती है कि है तो कमेटी इसकी सूचना/शिकायत तुरन्त उच्चतर प्राधिकारी से अग्रिम कार्यवाही हेतु करे। खनन पट्टा धारक ने कहा कि खनन पट्टा की प्रकिया ग्राम पंचायत की NOC से शुरु होती है और ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा मे प्रताव पर विचार विमर्श करने के बाद NOC दी जाती है। इसके बाद पट्टा धारक खनन पट्टा के सयुंक्त निरिक्षण के लिये राज्य भुविज्ञानी को आवेदन करता है। इसके बाद जैसा कि ऊपर कहा गया है क0 स0 5, कालम 4। खनन पट्टा धारक ने अन्त मे यह भी आश्वासन भी दिया वह प्रधान ग्राम पंचायत की अनुमति पर गांव की स्थानीय जनता को रेत व बजरी सस्ते दामो पर उपलब्ध करवायेंगे।

अन्त में श्री0 एस0 के0 धीमान क्षेत्रीय अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने अध्यक्ष महोदय एवं सभी प्रतिभागियों और स्थानीय प्रशासन का प्र्यावरण सम्वन्धी जन सुनवाई में हिस्सा लेने पर धन्यावाद किया।

अतिरिक्त उपायुक्त
ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0

Additional Deputy Commissioner
Una, Distt.Una